फार्म–ए0

न्यायालयः–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर
निर्णय की तिथि–04.11.2025
सत्र–वाद संख्या–392 / 2001
सी0आई0एस0 संख्या–121 / 2024
(असरगंज थाना कांड संख्या–43 / 2000)

उपस्थित :– **आलोक गुप्ता**

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेर।

परिवादी / सूचक	**शंकर साह,** साकिन–बकाली टोला, थाना–असरगंजय, जिला–मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अपर लोक अभियोजक, श्री शाहिद कमाल
अभियुक्त	**जीतो राम उर्फ जितेंद्र कहार,** पिता–शंकर राम, साकिन–बाखो टोला, असरगंज, थाना–असरगंज, जिला–मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता–श्री विनायक मिश्रा

घटना की तिथि	05.03.2000
प्राथमिकी की तिथि	05.03.2000
आरोप पत्र की तिथि	30.07.2000
आरोप गठन की तिथि	07.08.2001
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	28.08.2001
निर्णय हेतु निश्चित करने की तिथि	04.11.2025
निर्णय की तिथि	04.11.2025
सजा आदेश की तिथि	

अभियुक्त का विवरणः-

Name of the Accused persons	Date of Arrest/ Surrender	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention undergone during Trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
जेतो राम उर्फ जितेंद्र कहार	05.11.2000	18.08.2001	धारा–307 भा0द0वि0 एवं 27 सशस्त्र अधिनियम	अभियुक्त को रिहा किया गया		

ए0.–अभियोजन की ओर से इस वाद में कुल तीन साक्षियों को प्रस्तुत किया गया हैः–

क्र0 स0	अभियोजन साक्षी क्रम0 स0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
01.	अभियोजन साक्षी संख्या–01	महेश पुर्वे	पक्षद्रोही
02.	अभियोजन साक्षी संख्या–02	प्रदीप साह	पक्षद्रोही
03.	अभियोजन साक्षी संख्या–03	शंकर साह	सूचक साक्षी

बी.–बचाव पक्ष की ओर से साक्षी, यदि हों–

क्र0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
	–	

सी.–न्यायालय साक्षी, यदि हों–

क्र0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
	–	

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्शों की सुचिः–

ए0–अभियोजनः–

क्र0 सं0	प्रदर्श	विवरण
01.	प्रदर्श–पी0–01	लिखित आवेदन पर सूचक साक्षी शंकर साह का हस्ताक्षर
02.	प्रदर्श–पी0–02	औपचारिक प्राथमिकी

03.	प्रदर्श–पी0–03	आरोप–पत्र

बी0–बचाव पक्षः–

क्र0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	

सी0–न्यायालयः–

क्र0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	

डी0–वस्तु प्रदर्शः–

क्र0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	–	

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद के एक मात्र अभियुक्त **जीतो राम उर्फ जितेंद्र कहार** का सत्र विचारण, उनके विरूद्व अधिरोपित सारभूत आरोपों अंतर्गत धारा–307 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम किया गया है।

सूचक **शंकर साह,** साकिन–बकाली टोला, थाना–असरगंजय, जिला–मुंगेर का लिखित आवेदन इस प्रकार हैः–

2. दिनांक 05.03.2000 को करीब दिन के 2 बजे वकाली, असरगंज, सूचक का छोटा लड़का अनिल खाना खाने बैठा था। दिवाल के उस पार से अपराधी जितो राम पे0 शंकर उसके साथ कुछ आदमी था जिसको सूचक नहीं पहचानते हैं। दिवाल के उस पार से गाली बका और दिवाल पर चढ़ गया, नीचे से गोली चलाया, जितो राम गोली चलायाा।

3. उपरोक्त घटना के संदर्भ में सूचक द्वारा अपना लिखित आवेदन दिया जिसके आधार पर **असरगंज थाना कांड संख्या–43 / 2000** अन्तर्गत **धारा–448, 307, 504 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट** के तहत प्राथमिकी दर्ज हुआ।

4. अनुसंधान पुर्ण होने के पश्चात् संबंधित अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त **जीतो राम उर्फ जितेंद्र कहार** के विरूद्ध **आरोप पत्र संख्या–181 / 2000 अंतर्गत धारा–448, 307, 504, 34 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम दिनांक 30.07.2000** समर्पित किया गया तथा **दिनांक 20.06.2000** को उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत **धारा–448, 306, 504 / 34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट** के अंतर्गत **संज्ञान** लिया गया तथा दिनांक **28.05.2001** को **दौरा सुपुर्दगी** किया गया।

5. दौरा सुपुर्दगी के पश्चात् प्रस्तुत कांड का अभिलेख तत्कालीन अपर सत्र न्यायालय, मुंगेर को प्राप्त हुआ जहॉ पर इसे **सत्र विचारण 392 / 2001** के रूप में **पंजीकृत** किया गया और प्रस्तुत कांड के अभियुक्त **जीतो राम उर्फ जितेंद्र कहार** के विरूद्ध **आरोप गठन** हेतु सुनिश्चित किया गया। तत्पश्चात् उक्त अभियुक्त के विरूद्ध **धारा–307 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट** के अन्तर्गत आरोप गठन दिनांक **07.08.2001** को किया गया और उसे हिन्दी में अनुवाद कर अभियुक्त को सुनाया एवं समझाया गया, जिसे अभियुक्त ने उक्त आशय के अपराध कारित किये जाने का विरोध किया तथा न्यायालय के समक्ष विचारण का दावा प्रस्तुत किया।

6. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अभियुक्त **जीतो राम उर्फ जितेंद्र कहार** का बयान, **दिनांक–04.11.2025 को** अन्तर्गत **धारा–313 अन्तर्गत दं0प्र0सं0** लेखवद्व किया गया, जिसमें उक्त अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया है।

7. **न्यायालय के समक्ष, मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि ''क्या अभियोजन पक्ष, अपने द्वारा लाये गये उक्त आरोपों को, उपरोक्त अभियुक्त जीतो राम उर्फ जितेंद्र कहार के विरूद्व, युक्तियुक्त सभी शंकाओं से परे साबित करने में पूर्णतया सफल हो सके, अथवा, नहीं?''**

मन्तव्य

<u>अभियोजन साक्ष्यः–</u>

<u>अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में कुल तीन साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है :–</u>
<u>अभियोजन साक्षीः–</u>

क0 स0	अभियोजन साक्षी क्रम0 स0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
01.	अभियोजन साक्षी संख्या–01	महेश पुर्वे	पक्षद्रोही
02.	अभियोजन साक्षी संख्या–02	प्रदीप साह	पक्षद्रोही
03.	अभियोजन साक्षी संख्या–03	शंकर साह	सूचक साक्षी

8. **अभियोजन साक्षी संख्या–01, महेश पुर्वे, अभियोजन साक्षी संख्या–02 प्रदीप साह, ने अपने** मुख्य परीक्षण में कहा है कि वे घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, पुलिस में उनका बयान नहीं हुआ।

अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर उक्त दोनों साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया। उक्त साक्षी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त के मेल में आकर सच्ची बात को छिपा लिया हुँ और झुठी गवाही दिया हुँ।

उक्त सूचक / साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है न्यायालय में जो बयान दिया हुँ अपनी स्वेच्छा से और बिना भय दबाव के दिया हुँ।

अभियोजन साक्षी संख्या–03, शंकर शाह, जो प्रस्तुत कांड के सूचक है इन्होंने अपने मुख्य प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। साक्षी ने लिखित प्रतिवेदन देखकर उस पर अपने हस्ताक्षर को पहचाना जिसे प्रदर्श–1 अंकित किया गया।

उक्त सूचक साक्षी को अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

उक्त सूचक साक्षी ने अपने अभियोजनपक्ष की ओर प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि गलत बयान दिया हुँ। उक्त सूचक साक्षी ने मुदालय को पहचानने का दावा किया है जो वकालतन उपस्थिति पर है।

उक्त सूचक साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था।

9. अभियोजन पक्ष की आरे से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्यः–

क0 सं0	प्रदर्श	विवरण
01.	प्रदर्श–पी0–01	लिखित आवेदन पर सूचक साक्षी शंकर साह का हस्ताक्षर
02.	प्रदर्श–पी0–02	औपचारिक प्राथमिकी
03.	प्रदर्श–पी0–03	आरोप–पत्र

अभियोजन साक्ष्य दिनांक **10.10.2025** विद्वान अपर लोक अभियोजक के अनुरोध पर बंद किया गया।

(ए0) सफाई साक्ष्यः–

10. प्रस्तुत कांड के अभियुक्त **जीतो राम उर्फ जितेंद्र कहार** द0प्र0स0 की धारा–313 के अंतर्गत अपने बयान में घटना कारित किये जाने से इंकार किया है और स्वयं को निर्दोष बताया है। हालॉकि, उन्होंने अपने मुकदमा के समर्थन में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुतियॉः–

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा तीन साक्षियों को परीक्षित कराया गया है और तीन प्रदर्श को चिन्हित कराया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियॉः–

12. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि प्रस्तुत कांड के अभियुक्तगण के विरूद्व कोई मामला नहीं बनता है। **अभियोजन साक्षी संख्या–01, महेश**

पुर्वे, अभियोजन साक्षी संख्या–02 प्रदीप साह, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वे घटना के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, पुलिस में उनका बयान नहीं हुआ। **अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर उक्त दोनों साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया।** उक्त साक्षी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त के मेल में आकर सच्ची बात को छिपा लिया हुँ और झुठी गवाही दिया हुँ। उक्त सूचक / साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है न्यायालय में जो बयान दिया हुँ अपनी स्वेच्छा से और बिना भय दबाव के दिया हुँ। **अभियोजन साक्षी संख्या–03, शंकर शाह,** जो प्रस्तुत कांड के सूचक है इन्होंने अपने मुख्य प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। साक्षी ने लिखित प्रतिवेदन देखकर उस पर अपने हस्ताक्षर को पहचाना जिसे प्रदर्श–1 अंकित किया गया। **उक्त सूचक साक्षी को अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।** उक्त सूचक साक्षी ने अपने अभियोजनपक्ष की ओर प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि गलत बयान दिया हुँ। उक्त सूचक साक्षी ने मुदालय को पहचानने का दावा किया है जो वकालतन उपस्थिति पर है। उक्त सूचक साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था।

प्रस्तुत वाद में अभियोजन पक्ष द्वारा किसी प्रकार के शस्त्र को चिन्हित नहीं कराया जा सका है।

उसके बाद बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया है कि किसी भी अभियोजन साक्षी ने प्रस्तुत कांड का समर्थन नहीं किया है। तद्नुसार प्रस्तुत कांड के आरोपी व्यक्ति मुक्त होने के पात्र हैं।

<u>न्यायालय निष्कर्ष</u>:–

13. प्रस्तुत कांड अभियुक्त **जीतो राम उर्फ जितेंद्र कहार** के विरूद्व धारा–307 भा0द0वि0 एवं 27 सशस्त्र अधिनियम के तहत आरोप है। अभियोजन पक्ष ने कुल तीन साक्षियों को परीक्षित करवाया है। **अभियोजन साक्षी संख्या–01, महेश पुर्वे, अभियोजन साक्षी संख्या–02 प्रदीप साह को अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।**

अभियोजन साक्षी संख्या–03, शंकर शाह, जो प्रस्तुत कांड के सूचक है इन्होंने अपने मुख्य प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। **उक्त सूचक साक्षी को अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।** उक्त सूचक साक्षी ने अपने अभियोजनपक्ष की ओर प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि गलत बयान दिया हुँ। उक्त सूचक साक्षी ने मुदालय को पहचानने का दावा किया है जो वकालतन उपस्थिति पर है। उक्त सूचक साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था।

प्रस्तुत वाद में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा किसी प्रकार के शस्त्र को चिन्हित नहीं कराया जा सका है।

उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुये, मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला साबित करने में असफल रहा है।

<u>आदेश</u>

अतः यह न्यायालय, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त **जीतो राम उर्फ जितेंद्र कहार** को उक्त अधिरोपित आरोप अंतर्गत **धारा–307 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम** से मुक्त करने का आदेश देती है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत प्राप्त किये हुए है।

अतः अभियुक्तगण एवं उनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्वों से पुर्णतया स्वतंत्र करने का आदेश देती है।

(लेखापित एवं शुद्विकृत)

(आलोक गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेर।
04.11.2025

(आलोक गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेर।
04.11.2025